(46)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. /2019 निगरानी निगरानी-0466/2019/भिण्ड/भू.रा.सं.

श्रीमती वीनादेवी पत्नी कैलाशसिंह आयु 46 वर्ष

जाति भदौरिया ठाकुर निवासी ज्ञानपुरा तहसील

पूफ जिला भिण्ड। म.प्र.।

----- अपीलान्ट/आवेदक

बनाम

श्रीमती अन्जू भदौरिया पत्नी ओमकारसिंह भदौरिया

आयु 51 वर्ष जाति ठाकुर निवासी ग्राम ज्ञानपुरा

तहसील पूफ जिला भिण्ड। म.प्र.।

---- रेस्पोडेन्ट/अनावेदक

श्री ... द्वारा दिनांक 5-4-19 हेतु प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु नियत। दिनांक 12-4-19

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना प्र.क्र. 300/2017-18 अपील ऋएफ़ऋ आदेश दिनांक 26-3-2019 अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959।

श्रीमान जी,

आवेदककी ओर से निगरानी निम्नप्रकार, प्रस्तुत है -

1- यह कि तहसील पूफ के ग्राम ज्ञानपुरा स्थित आराजी का आवेदक द्वारा धारा 178 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार वृत पूफ में आवेदन प्रस्तुत किया। जो प्र.क्र. 25/16-17अ/27 पर कायम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-0466/2019/भिण्ड/भू.रा.

वीनादेवी विरूद्ध अंजू भदौरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-04-2019	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मनोज कुलश्रेष्ठ उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 26-03-2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र.भू-राजस्व संहिता में 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के पश्चात धारा 50(2)(ख) के अनुसार द्वितीय अपील के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान न होने के कारण यह निगरानी औचित्यहीन है । प्रकरण में इसी स्तर पर आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये निगरानी आवदेन वापिस किये जाने का मौखिक अनुरोध किया गया । आवेदक अभिभाषक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	